मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक/ 1589 /2236/2020/10-2 भोपाल, दिनांक 28/12/2020

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख
मध्यप्रदेश, भोपाल

विषय :- सूचना प्रौद्योगिकी की साधिकार समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के संबंध में। (नीति 2019)

---

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभाग को प्राप्त पत्र की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है। पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही कर की गई कार्यवाही से विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

APCCF (IT)

प्र.मु.व.सं. (वन बल प्रमुख)
म.प्र. भोपाल
30/12/20

(अतुल कुमार मिश्रा)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

8339
30-12-20

Disk E/

Rajendra

R 2236/2020/10-2

10-12-2020

R
07
10/12/2020

मध्यप्रदेश शासन
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन-1
:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 28/11/2020

क्रमांक एफ.3-3/2015/41-2 :: विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23-2-2019 द्वारा मध्यप्रदेश में दूरसंचार सेवा/इंटरनेट सेवा/ अवसंरचना प्रदाताओं द्वारा वायर लाइन या वायरलेस आधारित वाइस या डाटा पहुँच सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अधोसंरचना की स्थापना को सुगम बनाने हेतु नीति-2019 एवं दिशा- निर्देश-2019 में जारी किये गये हैं ।

2/ उक्त नीति के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाईयों एवं उनके निराकरण हेतु प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 03 अक्टूबर, 2020 को आयोजित सूचना प्रौद्योगिकी साधिकार समिति की 35वीं बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश में दूरसंचार सेवा/इंटरनेट सेवा/ अवसंरचना प्रदाताओं द्वारा वायर लाइन या वायरलेस आधारित वाइस या डाटा पहुँच सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अधोसंरचना की स्थापना को सुगम बनाने हेतु नीति-2019 की निम्नलिखित कंडिकाओं में संशोधन किया जाता है :-

1. कंडिका-5 "अवसंरचना" की परिभाषा में निम्नानुसार स्पष्टीकरण को जोड़ा जाता है:-

स्पष्टीकरण : कोई भी ऐसी अवसंरचना जो दूरसंचार तकनीक के प्रसारण/ संचारण/ संप्रेषण को ग्रहण करने की क्षमता धारित करता हो, टावर की श्रेणी में मान्य किये जायेंगे।

2. कंडिका-7.1(क) एवं 8(ग) को विलोपित किया जाता है ।

3. कंडिका-12 को संशोधित कर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

12 - "अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण : शासकीय भूमि पर अवसंरचना की स्थापना के लिए अनुच्छेद 7 से 10 के अधीन जारी अनुज्ञप्तियों एवं "मध्यप्रदेश में 4जी ब्राडबैंड वायर लाईन एवं वायरलैस एक्सेस सर्विसेस प्रदाय करने का विनियामक प्रक्रिया नीति 2013" के अधीन जारी की गई अनुज्ञप्तियों के समापन पर टी.एस.पी./ आई.एस.पी. कंपनी के रूप में कार्य करने की वैध अनुज्ञप्ति प्राप्त किये जाने/ अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण किए जाने का सबूत प्रस्तुत किए जाने पर अथवा आई.पी. श्रेणी-एक कंपनी की दशा में वैध रजिस्ट्रीकरण पर यह नवीकृत किया जा सकता है। नवीनीकरण पर अनुज्ञप्ति उस अवधि तक वैध रहेगी जिसके लिए दूरसंचार विभाग, भारत सरकार द्वारा आवेदक को वैध अनुज्ञप्ति/ रजिस्ट्रीकरण जारी किया गया है।"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

29.11.2020
(अंजू पवन भदौरिया)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

(2)

पृष्ठां. क्रमांक एफ.3-3/2015/41-2 भोपाल, दिनांक 28/11/2020

प्रतिलिपि :-

1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव,म.प्र.शासन के समस्त विभाग, मंत्रालय,भोपाल ।

2- प्रबंध संचालक,मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम,भोपाल ।

3- मुख्य कार्यपालन अधिकारी,मैप आई.टी.की ओर प्रेषित कर लेख है कि कृपया आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें ।

4- समस्त कलेक्टर,मध्यप्रदेश ।

5- उप नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, म.प्र.भोपाल की ओर अग्रेषित कर अनुरोध है कि कृपया आदेश को साधारण राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित कराने का कष्ट करें ।

6- निदेशक,TAIPA,द्वितीयमंजिल,7भाईवीरसिंह मार्ग, गोलमार्केट,नई दिल्ली-110001

7- प्रमुख, सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसियेशन,14- भाई वीरसिंह मार्ग,गोल मार्केट, नई दिल्ली-110001

28/11/2020

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

मध्यप्रदेश शासन
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन-1
:: आदेश ::

(3)

भोपाल, दिनांक 28 /11/2020

क्रमांक एफ.3-3/2015/41-2 :: विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23-2-2019 द्वारा मध्यप्रदेश में दूरसंचार सेवा/इंटरनेट सेवा/ अवसंरचना प्रदाताओं द्वारा वायर लाइन या वायरलेस आधारित वाइस या डाटा पहुँच सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अधोसंरचना की स्थापना को सुगम बनाने हेतु नीति-2019 एवं दिशा- निर्देश-2019 में जारी किये गये हैं ।

2/ उक्त नीति के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाईयों एवं उनके निराकरण हेतु प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 03 अक्टूबर, 2020 को आयोजित सूचना प्रौद्योगिकी साधिकार समिति की 35वीं बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश में दूरसंचार सेवा/इंटरनेट सेवा/ अवसंरचना प्रदाताओं द्वारा वायर लाइन या वायरलेस आधारित वाइस या डाटा पहुँच सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अधोसंरचना की स्थापना को सुगम बनाने हेतु दिशा-निर्देश-2019 की निम्नलिखित कंडिकाओं में संशोधन किया जाता है :-

1. कंडिका-6 को संशोधित कर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

**कंडिका-6 शासकीय भूमि पर अवसंरचना संस्थापित करने की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने का आवेदनः** शासकीय भूमि पर अवसंरचना संस्थापित करने की अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन आवश्यक संलग्न पत्रों तथा शुल्क के साथ इन दिशा-निर्देश में संलग्न प्ररूप-एक में अनुज्ञापन प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

नगरीय क्षेत्र के ऐसे भूमि/ भवन जिनमें खसरा नम्बर उपलब्ध न हो अथवा खसरा नंबर के स्थान की पहचान में समस्या हो वहाँ, संशोधित प्ररूप-एक, एक-क, एक-ख एवं एक-ग निर्धारित करते हुए, भूमि/ भवन के अक्षांश तथा देशांश, वार्ड क्रमांक, भवन क्रमांक, भू-खण्ड क्रमांक तथा स्थानीय पते की जानकारी के आधार पर संबंधित आवेदन का निराकरण किया जाये ।

उक्त प्रावधानित प्ररूप-एक के स्थान पर संलग्न संशोधित प्ररूप-एक, प्ररूप-एक-क, प्ररूप एक-ख एवं प्ररूप एक-ग प्रतिस्थापित किया जाये।

2 कंडिका 11(ग) को विलोपित किया जाता है ।

3 कंडिका 11(अ) निम्नानुसार स्थापित की जाती है :-

11(अ)- (1) अधोसंरचना की स्थापना हेतु प्राप्त आवेदनों का निराकरण:-

i. शासकीय/ शासकीय प्राधिकरण/ स्थानीय निकाय की भूमि/ भवन पर अवसंरचना स्थापित करने हेतु आवेदन प्राप्त होने के दिनांक से 45 दिवस में ( जिमसें विभिन्न प्राधिकारियों/ अधिकारियों से अनापति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में लिया गया समय सम्मिलित होगा) जारी किया जायेगा।

ii. निजी भूमि/ भवन में अवसंरचना स्थापित करने के लिए आवेदन प्राप्त होने के दिनांक से 3 दिवस में जारी किया जायेगा।

(2) यदि पदाभिहीत अधिकारी अनुज्ञप्ति हेतु प्राप्त आवेदनों का निराकरण उप कंडिका (i) में नियत समय-सीमा के भीतर विनिश्चिय करने में असफल रहता है तो, ऐसी अवसंरचना के लिए मान्य अनुज्ञप्ति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा पदाभिहीत पोर्टल द्वारा उत्पन्न की जायेगी, ऐसी जारी अनुज्ञप्ति की कानूनी वैधता, पदाभिहीत अधिकारी द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन के समान होगी। परन्तु डीम्ड अनुज्ञप्ति जारी करने के पूर्व आवेदक से अनुज्ञप्ति के लिए निर्धारित शुल्क प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। डीम्ड अनुज्ञप्ति अधिकृत पोर्टल के द्वारा ही जारी की जायेगी।

4. कंडिका 12(ख) की उप कंडिका (तीन) को विलोपित किया जाता है।

5. कंडिका-14(ढ) को संशोधित करते हुए निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:-

14(ढ) "अनुज्ञप्त अभिकरण अथवा अनुज्ञप्तिधारी के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह दूरसंचार विभाग अथवा भारत सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियत किए गए विकिरण उत्सर्जन मानकों का सख्ती से पालन करें। विकिरण उत्सर्जन के संबंध में आवश्यक अनापति दूरसंचार विभाग, भारत सरकार से प्राप्त करने का दायित्व संबंधित आवेदक कम्पनी का होगा। विकिरण उत्सर्जन से संबंधित शिकायतें दूरसंचार विभाग अथवा भारत सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिश्चित की जाएंगी और उपरोक्त विनिश्चय का पालन करना प्रत्येक दूरसचार कंपनी के लिए अनिवार्य होगा।"

-5-

6 कंडिका 14(थ) को संशोधित कर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:-

14(थ) टॉवर की अवस्थिति के परिवर्तन करने में अनुज्ञापन प्राधिकारी के निर्देशों का पालन किया जायेगा : आवेदक को यदि ऐसा अपेक्षित हो, दिशानिर्देश-2019 की कंडिका-16(1) के प्रावधान के अध्यधीन रहते हुए, जिला कलेक्टर के निर्देशों के अनुसार मास्ट/टॉवर की अवस्थिति में परिवर्तन करना होगा तथा इस कार्यवाही के लिए सम्पूर्ण खर्चे आवेदक को वहन करना होगा तथा इस मद्दे कोई क्षतिपूर्ति अनुज्ञेय नहीं होगी।

7. कंडिका 16(1) को संशोधित कर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

16(1) अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा "मोबाइल टावर लगाने एवं टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में जन शिकायतों के निराकरण के लिए राज्य स्तरीय समिति" के अनुमोदन उपरान्त, किसी भी ऐसी संरचना या संनिर्माण को हटाने के लिए सशक्त होगा जो राज्य शासन की भूमि/ सम्पत्ति अथवा राज्य शासन के उपक्रम, प्राधिकरण, निगम, आयोग आदि की भूमि/ सम्पत्ति पर निर्मित किये गये और जिसने अनुज्ञप्ति मंजूरी की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया हो या जो सार्वजनिक सुरक्षा के लिए असुरक्षित है या यदि वह भूमि सार्दजनिक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

23.11.202

(अंजू पवन भदौरिया)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

पृष्ठां. क्रमांक एफ.3-3/2015/41-2 भोपाल, दिनांक 28/11/2020

प्रतिलिपि :-

1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव, म.प्र.शासन के समस्त विभाग,मंत्रालय,भोपाल।
2- प्रबंध संचालक,मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम,भोपाल ।
3- मुख्य कार्यपालन अधिकारी,मैप आई.टी.की ओर प्रेषित कर लेख है कि कृपया आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें ।
4- समस्त कलेक्टर,मध्यप्रदेश ।
5- उप नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, म.प्र.भोपाल की ओर अग्रेषित कर अनुरोध है कि कृपया आदेश को साधारण राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित कराने का कष्ट करें ।
6- निदेशक,TAIPA,द्वितीयमंजिल,7भाईवीरसिंह मार्ग, गोलमार्केट,नई दिल्ली-110001
7- प्रमुख, सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसियेशन,14- भाई वीरसिंह मार्ग,गोल मार्केट, नई दिल्ली-110001

28/11/2020

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

संशोधित

प्ररूप-एक

मध्यप्रदेश में दूरसंचार सेवा/ इन्टरनेट सेवा /अवसंरचना प्रदाताओं द्वारा वायर लाइन / वायरलेस आधारित वाइस / डाटा पहुंच सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अवसरंचना की स्थापना को सुगम बनाने हेतु नीति-2019 के अंतर्गत अनुज्ञप्ति के /अनुज्ञप्ति के नवीकरण हेतु आवेदन

प्रति,
जिला कलेक्टर एंव अनुज्ञापन प्राधिकारी
जिला.....

मैं /हम मैसर्स.....के अधिकृत प्रतिनिधि हैं और मोबाइल फोन टावर स्थापना हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित जानकारी तथा दस्तावेज प्रस्तुत कर रहा हूँ/रहे हैं-

| | | |
|---|---|---|
| 1. | आवेदक फर्म का नाम | |
| 2. | आवेदक का पता | |
| 3. | आवेदक के अधिकृत प्रतिनिधि का नाम दूरभाष क्रमांक सहित | |
| 4. | आवेदक के दूरसंचार सेवा प्रदाता /इंटरनेट सेवा प्रदाता / अवसंरचना प्रदाता होने संबंधी अनुज्ञप्ति या दूरसंचार विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी अवसंरचना प्रदाता प्रवर्ग-2 कंपनी की दशा में पंजीयन का विवरण | |
| 5. | अनुज्ञप्ति की वैध अवधि/दूरसंचार विभाग, भारत सरकार से वैध पंजीयन अवधि | |
| 6. | स्थानों के ब्यौरे जहां आधारभूत टावर स्थापन हेतु अनुज्ञप्ति का आवेदन किया है | |

| | | |
|---|---|---|
| | 1) शासकीय भूमि पर स्थानों की संख्या<br>2) सार्वजनिक उपक्रम/ निगम/ प्राधिकरण/ बोर्ड /राज्य सरकार की भूमि पर स्थानों की संख्या<br>3) कुल स्थानों की संख्या जिनके लिए आवेदन किया गया है (प्ररूप-एक-क में प्रत्येक स्थान के लिए पृथक-पृथक आवेदन संलग्न करें) | |
| 7. | उन स्थानों के ब्यौरे जहां छत के ऊपर टावर संस्थापित करने के लिए अनुज्ञप्ति का आवेदन किया है-<br>1) शासकीय भूमि पर स्थानों की संख्या<br>2) सार्वजनिक उपक्रम/ निगम/ प्राधिकरण/ बोर्ड/ राज्य सरकार की भूमि पर स्थानों की संख्या<br>3) कुल स्थानों की संख्या जिनके लिए आवेदन किया गया है (प्ररूप-एक-ख में प्रत्येक स्थान के लिए पृथक-पृथक आवेदन संलग्न करें) | |
| 8. | उन स्थानों के ब्यौरे जहां रास्तों के लिए अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन किया है-<br>1) शासकीय भूमि पर स्थानों की संख्या<br>2) सार्वजनिक उपक्रम/ निगम/ प्राधिकरण/ बोर्ड/ राज्य सरकार की भूमि पर स्थानों की संख्या<br>3) कुल स्थानों की संख्या जिनके लिए आवेदन किया गया है (प्ररूप-एक-ग में प्रत्येक स्थान के लिए पृथक-पृथक आवेदन संलग्न करें) | |
| 9. | उन निजी स्थानों/ भवनों के ब्यौरे जहाँ आधारभूत टावर स्थापना हेतु अनुज्ञप्ति का आवेदन किया है : -<br>a. स्थानों के ब्यौरे जहाँ आधारभूत टावर स्थापना हेतु अनुज्ञप्ति का आवेदन किया है (प्ररूप-एक-क)<br>b. उन स्थानों के ब्यौरे जहाँ छत के ऊपर टावर संस्थापित | |

| | | |
|---|---|---|
| | करने के लिए अनुज्ञप्ति का आवेदन किया है। कुल स्थानों की संख्या जिनके लिए आवेदन किया गया है (प्ररूप-एक-ख) | |

संशोधित

प्ररूप-एक-'क'

शासकीय भूमि/ निजी भूमि / राज्य सरकार के उपक्रम से संबंधित भूमि पर आधारभूत टावर स्थापित करने के लिए अनुज्ञप्ति हेतु आवेदित भूमि के ब्यौरे

| | | |
|---|---|---|
| 1. | आवेदक का नाम | |
| 2. | आवेदक प्रतिनिधि के सम्पर्क ब्यौरे | |
| 3. | भूमि के ब्यौरे जहां टावर स्थापित किया जाना है | |
| 4. | भूमि, गांव का खसरा नम्बर (जहाँ उपलब्ध हो) के ब्यौरे | |
| 5. | स्थान तथा पता | |
| 6. | भूमि पर स्वामित्व काबिज विभाग/ | |
| 7. | क्या भूमि शासकीय भूमि/निजी भूमि/राज्य सरकार के उपक्रम की है ? | |
| 8. | भूमि की वर्तमान स्थिति<br>क .भूमि पर अवस्थित भवन<br>ख .भूमि का वर्तमान उपयोग<br>ग .भूमि पर से गुजरने वाली विद्युत लाईनें<br>घ .भूमि पर वर्तमान अन्य संरचना | |
| 9. | स्थापित किये जाने वाले टावर का ब्यौरा<br>क .टावर की ऊंचाई<br>ख .टावर का संरचनात्मक स्थायित्व प्रमाणपत्र<br>ग .टावर के आधार पर भूमि का कवरेज जिसमें guy rope | |

| | | |
|---|---|---|
| | (lxb) हेतु अपेक्षित क्षेत्रफल फीट में सम्मिलित है<br>घ .अनुषांगिक उपकरण के लिए अपेक्षित भूमि (वर्गफीट) मे<br>ड़ .अवसरंचना की स्थापना से क्षतिग्रस्त होने वाली संरचना का ब्यौरा, यदि कोई हो। | |
| 10. | भूमि का क्षेत्रफल जिसके लिए अनुज्ञप्ति आवेदित है | |
| 11. | भूमि को अवसरंचना स्थापित करने के पूर्व की स्थिति में लाने हेतु अनुमानित लागत व्यय | |
| 12. | संलग्नक-<br>क. भूमि तथा टावर आदि की अवस्थिति दर्शाने वाला गूगल मैप(नक्शा)<br>ख .अवस्थिति के अक्षांश एवं देशांश<br>ग .टावर के लिए संरचनात्मक स्थायित्व प्रमाण-पत्र<br>घ .भूमि का फोटोग्राफ (छायाचित्र) | |

संशोधित

प्ररूप-एक-'ख'

शासकीय भूमि/ निजी भूमि /राज्य सरकार के उपक्रम की छत पर शीर्ष टावर से संबंधित भवन के लिए अनुज्ञप्ति हेतु आवेदित भूमि के ब्यौरे

| | | |
|---|---|---|
| 1. | आवेदक का नाम | |
| 2. | आवेदक प्रतिनिधि के सम्पर्क ब्यौरे | |
| 3. | भवन के ब्यौरे जहां टावर स्थापित किया जाना है | |
| 4. | स्थान तथा पता | |
| 5. | भवन पर स्वामित्व काबिज विभाग/ | |
| 6. | क्या भूमि शासकीय भूमि/निजी भूमि/राज्य सरकार के उपक्रम की है ? | |
| 7. | भवन की वर्तमान स्थिति<br>क .भवन की ऊंचाई<br>ख .भवन का वर्तमान उपयोग<br>ग .भवन पर से गुजरने वाली विद्युत लाईनें<br>घ .वर्तमान में छत शीर्ष पर अन्य संरचना, यदि कोई हो<br>ड़ .भवन का संरचनात्मक स्थायित्व प्रमाण-पत्र के ब्यौरे | |
| 8. | स्थापित किये जाने वाले टावर का ब्यौरा<br>क .टावर की ऊंचाई<br>ख .टावर का संरचनात्मक स्थायित्व प्रमाणपत्र<br>ग .टावर के आधार पर भूमि का कवरेज जिसमें guy rope(lxb) हेतु अपेक्षित क्षेत्रफल फीट में सम्मिलित है | |

| | | |
|---|---|---|
| | घ .अनुषांगिक उपकरण के लिए अपेक्षित भूमि(वर्गफिट)<br>ड़ .अवसरंचना की स्थापना से क्षतिग्रस्त होने वाली संरचना का ब्यौरा, यदि कोई हो। | |
| 9. | छत शीर्ष का क्षेत्रफल जिसके लिए अनुज्ञप्ति आवेदित है | |
| 10. | अवसरंचना स्थापित करने के पूर्व की स्थिति में लाने हेतु अनुमानित लागत व्यय | |
| 11. | संलग्नक-<br>क .भवन की स्थिति दर्शाने वाला गूगल मैप (नक्शा)<br>ख .अवस्थिति के अक्षांश एवं देशांश<br>ग .टावर के लिए संरचनात्मक स्थायित्व प्रमाण-पत्र<br>घ .भवन का फोटोग्राफ; (छायाचित्र) | |

संशोधित

प्ररूप-एक-'ग'

शासकीय भूमि/ निजी भूमि /राज्य सरकार के उपक्रम से संबंधित भूमि पर अवसंरचना लगाने के लिए अनुज्ञप्ति हेतु आवेदित भूमि के ब्यौरे

| | | |
|---|---|---|
| 1. | आवेदक का नाम | |
| 2. | आवेदक प्रतिनिधि के सम्पर्क ब्यौरे | |
| 3. | भूमि का विवरण जहां टावर स्थापित किया जाना है | |
| 4. | भूमि, गांव के खसरा नम्बर (जहाँ उपलब्ध हो) का विवरण | |
| 5. | स्थान तथा पता | |
| 6. | भूमि पर स्वामित्व काबिज विभाग/ | |
| 7. | क्या भूमि शासकीय भूमि/निजी भूमि/राज्य सरकार के उपक्रम की है ? | |
| 8. | भूमि की वर्तमान स्थिति<br>क .भूमि पर अवस्थित भवन<br>ख .भूमि का वर्तमान उपयोग<br>ग .मुख्य सड़क से आवेदित भूमि की दूरी जिसके लिए right of way हेतु आवेदन किया गया है<br>घ .भवन से आवेदित भूमि की दूरी जिसके लिए right of way हेतु आवेदन किया गया है<br>ड़ .भूमि पर से गुजरने वाली विद्युत लाईनें<br>च .भूमि पर स्थित नाली तथा सीवेज लाईन इत्यादि जिसके लिए आवेदन किया गया है | |

| | | |
|---|---|---|
| | छ .भूमि पर स्थित फुटपाथपगडंडी जिसके लिए आवेदन किया / गया है<br>ज .अवसंरचना जिस भूमि पर स्थापित की जानी है वह कच्ची है या पक्की<br>झ .यदि पक्की है तो भूमि का प्रकार-<br>फुटपाथ/ सड़क/प्लेटफार्म आदि | |
| 9. | स्थापित की जाने वाली अवसंरचना का विवरण<br>क .केबल, डक्ट आदि<br>ख .अवसंरचना भूमि की कितनी गहराई तक स्थापित की जानी है?<br>ग .Right of Way हेतु आवश्यक भूमि की चौड़ाई<br>ड़ .अनुषांगिक उपकरण (वर्गफीट) में के लिए अपेक्षित भूमि, यदि आवश्यक हो | |
| 10. | भूमि का क्षेत्रफल (फीट में ) जिसकी अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन किया है<br>क .लम्बाई<br>ख .चौड़ाई | |
| 11. | भूमि को अवसरंचना स्थापित करने के पूर्व की स्थिति में लाने हेतु अनुमानित लागत व्यय | |

| | | |
|---|---|---|
| 12. | संलग्नक-<br>क .भूमि तथा टावर की अवस्थिति दर्शाने वाला गूगल मैप (नक्शा)<br>ख .अवस्थिति के अक्षांश एवं देशांश<br>ग .टावर के लिए संरचनात्मक स्थायित्व प्रमाणपत्र<br>घ .भूमि का फोटोग्राफ (छायाचित्र) | |